

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937

No. 17]

NEW DELHI WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

संशोधन - अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

विषय : इरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित 'लाइनीयर अल्काइल बेंनजीन' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/20/2015-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के विषयगत पाटनरोधी जांच के संबंध में 07 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 14/20/2015-डी जी ए डी के द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी कर दिए हैं।

2. उपर्युक्त उपक्रम की अधिसूचना को पैरा 19 के रूप में संशोधित किया गया है:

19 “सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की अवधि की शुरुआत की तारीख से 40 चालीस दिनों के भीतर घरेलू उद्योग वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें” ।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)****CORRIGENDUM NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2016

Subject: - Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Linear Alkyl Benzene’ originating in or exported from Iran, Qatar and China PR.

No. 14/20/2015-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof, the Designated Authority has issued the Initiation notification, vide notification No. 14/20/2015-DGAD dated 07 December, 2015 in respect of the subject anti-dumping investigation.

2. The Para 19 of the aforesaid initiation notification is modified as under:

19 “All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry’s application within 40 days from the date of initiation of this investigation”.

A. K. BHALLA, Designated Authority